प्रेस नोट संख्या- 71
दिनांक 29.01.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा, चोरी की 70 अदद प्लाई (कीमत लगभग 01 लाख 40 हजार रुपये) के साथ अन्तर्जनपदीय 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी में प्रयुक्त पिकअप बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 29.01.2025 को वादी राममूर्ति सिंह पुत्र स्व० भगौती सिंह निवासी ग्राम बहादुरपुर मजरे रस्तामऊ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना मोहनगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी का सेटरिंग का काम 200 बेड अस्पताल के आगे रजनपुर मोड़ पर लगा हुआ था वहां पर लगभग सत्तर प्लाई सटरिंग से खुलकर बिल्डिंग के अंदर रखी हुई थी जिन्हें दिनांक 27/28.01.2025 की रात को अज्ञात व्यक्ति अज्ञात वाहन पर लादकर तिलोई की तरफ भाग गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 29.01.2025 को उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय थाना मोहनगंज मय हमराही देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं व वाहनों के चेकिंग के लिये क्षेत्र में मौजूद थे तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति पिकअप नंबर UP 33 AT 1450 पर चोरी की हुई सटरिंग की प्लाई लाद कर बेचने के लिये शंकरगंज से मोहगंज की तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना पर उ0नि0 विजय नारायण मय टीम द्वारा नव निर्मित टोल प्लाजा कामापुर के पास वाहनों की चेकिंग लगाकर पिकअप नंबर UP 33 AT 1450 को रोक लिया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम रामचन्द्र पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम लक्ष्मणगंज मजरे असनी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र 23 वर्ष, दूसरे ने बताया अपना नाम कल्लू पुत्र राम आसरे निवासी देवतरा थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 45 वर्ष व तीसरे ने अपना नाम अरविंद पुत्र सीताराम निवासी लक्ष्मणगंज मजरे असनी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र 19 वर्ष बताया। पिकअप पर लदी प्लाई के संबंध में पूछने पर बता न सके। चालक से वाहन के कागज मांगने पर दिखा न सका। पूछताछ में तीनों व्यक्तियों ने बताया कि पिकअप पर लदी इस प्लाई को हम लोगों ने दिनांक 27/28.01.2025 की रात्रि में समय लगभग 02:30 बजे 200 बेड अस्पताल के आगे रजनपुर मोड़ के पास बन रहे मकान से इसी पिकअप पर लादकर रायबरेली बेचने जा रहे थे। थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को नव निर्मित टोल प्लाजा कामापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. कल्लू पुत्र राम आसरे निवासी देवतरा थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 45 वर्ष।
2. रामचन्द्र पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम लक्ष्मणगंज मजरे असनी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र 23 वर्ष।
3. अरविंद पुत्र सीताराम निवासी लक्ष्मणगंज मजरे असनी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी-

1. चोरी की 70 अदद सटरिगं की प्लाई (कीमत लगभग 01 लाख 40 हजार रुपये)।
2. चोरी की घटना में प्रयुक्त पिकअप नंबर UP 33 AT 1450।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 24/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. पिकअप नंबर UP 33 AT 1450 (धारा 207 एमवी एक्ट)।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 सुरेश कुमार दीक्षिदत थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अनिल सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4. का0 सुरेन्द्र पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
5. का0 अरुण कुमार यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
6. का0 मनीष पाण्डेय थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
7. का0 रिनित कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 112/6 धारा 338,380,411,454 भादवि थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 1446/09 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली।
3. मु0अ0सं0 833/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 15/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 310/19 धारा 381,411,457 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
6. मु0अ0सं0 289/22 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली।